

लॉस एंड डैमेज फंड

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल के वायनाड ज़िले में हुए **वर्नाशकारी भूस्खलन** के बाद **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** के तहत **लॉस एंड डैमेज फंड (LDF)** के माध्यम से मुआवज़े का दावा करने के लिये उप-राष्ट्रीय संस्थाओं की पात्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हो गई है।

नोट:

- केरल के वायनाड ज़िले में भारी वर्षा और संवेदनशील पारिस्थितिक स्थितियों के कारण जुलाई 2024 की शुरुआत में **वर्नाशकारी भूस्खलन** की घटना हुई।
- चूरलमाला और मुंदककई गाँवों में भूस्खलन के कारण** कम-से-कम 144 लोगों की मृत्यु हो गई और 197 लोग घायल हो गए। ज़िले में 24 घंटे में 140 ममी. से अधिक बारिश से मृदा गीली होने तथा चट्टानों से उसका जुड़ाव कमज़ोर हो जाने के कारण वहाँ भूस्खलन हुआ।

लॉस एंड डैमेज फंड क्या है?

- स्थापना और लक्ष्य:** लॉस एंड डैमेज फंड (LDF) की स्थापना वर्ष 2022 में मसिर में आयोजित **27 वें UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज़ (COP27)** में की गई थी, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक और गैर-आर्थिक दोनों तरह के नुकसान से पीड़ित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
 - यह कोष **चरम मौसम की घटनाओं और धीमी गति से होने वाली प्रक्रियाओं** (जैसे: समुद्र के बढ़ते जल स्तर) से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है।
- शासन:** LDF का संचालन एक **गवर्नगि बोर्ड** द्वारा किया जाता है, जो नमिनलखिति के लिये ज़िम्मेदार है:
 - कोष के संसाधनों के आवंटन का निर्धारण करना।
 - वशिव बैंक** इसका अंतरिम ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है।
 - गवर्नगि बोर्ड द्वारा वर्तमान में फंड के संसाधनों तक पहुँच को सुवधाजनक बनाने के लिये तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें **प्रत्यक्ष अभिगम, छोटे अनुदान, त्वरित संवतिरण विकल्प** शामिल हैं।
- चिंताएँ:**
 - इसके इच्छित उद्देश्य के बावजूद इस बात की चिंता बनी हुई है कि:
 - LDF सहित जलवायु कोष की गति इतनी धीमी है कि आपदा के बाद तत्काल उन तक पहुँचना संभव नहीं है।
 - यह मुद्दा **उप-राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय समुदायों के लिये विशेष रूप से गंभीर** है।
 - यह अनुमान लगाया जा रहा है कि **LDF को अपने संसाधनों तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करने** में इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।




UNFCCC

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP)

कॉन्फ्रेंस आफ पार्टीज:

- UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था
- प्रत्येक वर्ष बैठक होती है (जब तक कि पक्षकार अन्यथा निर्णय न लें)
- बॉन, सचिवालय में बैठक (जब तक कि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती)
- पहला सीओपी- बर्लिन, जर्मनी में आयोजित (1995)

COPs और उनके प्रमुख परिणाम



COP 27 (2022)

शर्म-अल-शेख, मिस्र

- लॉस और डेमेज फंड

- पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिये USD 3.1 बिलियन की योजना

- जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों के लिये G7 के नेतृत्व वाली 'ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी'

- अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल

- जल अनुकूलन और लचीलापन (AWARe) पहल के लिये कार्रवाई

- मैंग्रोव एलायंस (भारत के साथ साझेदारी में)

- भारत की दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति

जलवायु वित्त में भारत की भूमिका

- भारत को वर्ष 2019 और 2023 के दौरान मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है।
 - भारत की **राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई नीति** और बजट में अनुकूलन के बजाय **शमन पर्याप्तों पर अधिक जोर** दिया गया है।
- **केंद्रीय बजट 2024** के अनुसार सरकार जलवायु अनुकूलन और शमन के लिये पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु **जलवायु वित्त** के लिये एक वर्गकी तैयार करेगी।
 - भारत में **अग्रिम पंक्ति के समुदाय अभी भी खतरों में** हैं, क्योंकि लॉस एंड डैमेज फंड से मुआवज़ा प्राप्त करने के लिये स्पष्ट दशा-नरिदेशों का अभाव है।
- **जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहलों में शामिल हैं:**
 - **जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC):**
 - **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष:** इसे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था और उद्योगों द्वारा कोयले के प्रयोग पर प्रारंभिक **कार्बन कर के माध्यम से वित्त पोषण** किया गया था।
 - **राष्ट्रीय अनुकूलन कोष:** इसकी स्थापना वर्ष 2014 में 100 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच के अंतर को कम करना था।

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- ⊕ प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है,
- ⊕ 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा

समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- ⊕ **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- ⊕ **क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
 - ⊕ **अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
 - ⊕ **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- ⊕ **हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
 - ⊕ इसके अंतर्गत कोष- अल्प विकसित देश कोष (LDCF) और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
- ⊕ **दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
 - ⊕ **कानकून समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध करना।
 - ⊕ **पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- ⊕ **लॉस एंड डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमजोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के

अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- ⊕ स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- ⊕ सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
■ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)	■ कमजोर भारतीय राज्यों के लिये
■ राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)	■ स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)
■ राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)	■ आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को खत्म करना
■ अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)	■ UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य
■ जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	■ वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- ⊕ NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- ⊕ अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- ⊕ स्वीकृतियों की धीमी दर,
- ⊕ व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? (2018)

- (a) जलवायु परिवर्तन पर अन्तर-सरकारी पैनेल
- (b) UNEP सचवालय
- (c) UNFCCC सचवालय
- (d) विश्व मौसमविज्ञान संगठन

उत्तर: (c)

प्रश्न. वर्ष, 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये और यह वर्ष 2017 से लागू होगा।
2. यह समझौता ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग-पूर्व स्तर (pre-industrial levels) से 2°C या कोशिश करें कि 1.5°C से भी अधिक न होने पाए।
3. विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विकासशील देशों की सहायता के लिये वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)